क्रम संख्या–98 (घ)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 15 सितम्बर, 2025 ई0

भाद्रपद 24, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग–3

संख्या– 1554 / X–3–25 / 01(70) / 2020 / E-86292

देहरादूनः दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–69

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनकोट से ब्रसखोली (धारीधूमलाकोट) हेतु हस्तान्तरित 04.856 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ (अन्य कारणों से बंजर भूमि) 09.712 है0 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	तहसील	खाता संख्या	खेत सं0	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	पिथौरागढ़	ग्वासीकोट	नैनोली	गणाईगंगोली	65	4824	09.712	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद
						योग–	09.712	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,

कल्याणी,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **1554/X-3-25/01(70)/2020-E-86292,** Dehradun dated September 15, 2025 for general information:

File No. 1554/X-3-25/01(70)/2020-E-86292

Dehradun Dated, September 15, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga land (for other agricultural use barren land) total 09.712 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Pithoragarh to the forest department for compensatory plantation against the 04.856 hectare Reserve Forest land transferred repectively for the construction of motor road from Bankot to Bruskholi (Dharighoomlakot) in District Pithoragarh, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	village	Patti	Tehsil	Khata No.	Khet No.	Area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pithoragarh	Gwasikot	Naimoli	Ganaigangoli	65	4824	09.712	Category-9(3)anga Banjar Kabil Aabad
	Total:-						09.712	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

KALYANI,
Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11/वन पर्या0/469–2025–100+25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।